(374) 33

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 जयपुर, दिनांक 2 ... 2012

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को **रियायती दर पर समसंख्यक भूमि आवंटन नीति दिनांक 19.04.2011 के अन्तर्गत** आने वाली संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के लिए गठित एम्पावर्ड समिति की तृतीय बैठक दिनांक 6.8.2012 में लिए गए निर्णयानुसार " आवंटन नीति के बिन्दु **संख्या 3(i) में शैक्षणिक संस्थाओं** द्वारा महाविद्यालय / विद्यालय के साथ छात्रावास निर्माण भी प्रस्तावित होने पर विद्यालय / महाविद्यालय हेतु आवंटित भूमि की 25 प्रतिशत भूमि तक छात्रावास हेतु आवंटित की जा सकेगी। उदाहरणार्थ विद्यालय के लिए 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने पर 1000 वर्गमीटर भूमि छात्रावास हेतु अतिरिक्त आवंटित की जा सकेगी।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-
(गुरदयाल सिंह संधू)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. **विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग, राज. जयपुर।**
4. **निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास,** आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर।
10. **निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए।**
11. **सचिव, नगर सुधार न्यास........................(समस्त)**
12. **सचिव,** राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. **मुख्य नगर नियोजक,** नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त विधि परामर्शी / उप विधि परामर्शी / उपनगरनियोजक, नगरीय विकास विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

21/8/2012
शासन उप सचिव-तृतीय

157/

(.....)